फिक्की के अनुसार, खनन **भारत की दो अंकों** की विकास दर की कुंजी है,

लेकिन...

खनन से प्रभावित लोगों के विकास के बारे में क्या?

1

जिला खनिज फाउंडेशन – भारत के हर खनन जिले में स्थापित एक ट्रस्ट

किस के लिये कल्याण और विकास -

i) प्रभावित लोग

ii) प्रभावित क्षेत्र

कैसे

DMF ट्रस्ट के तहत बनाए गए एक कोष के माध्यम से

"जिला खनिज फाउंडेशन का उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों के हितों और लाभ के लिए काम करना होगा।"

धारा 9 (बी), खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015

खनन कंपनियों से योगदान > डीएमएफ ट्रस्ट फंड > खनन से प्रभावित समुदाय

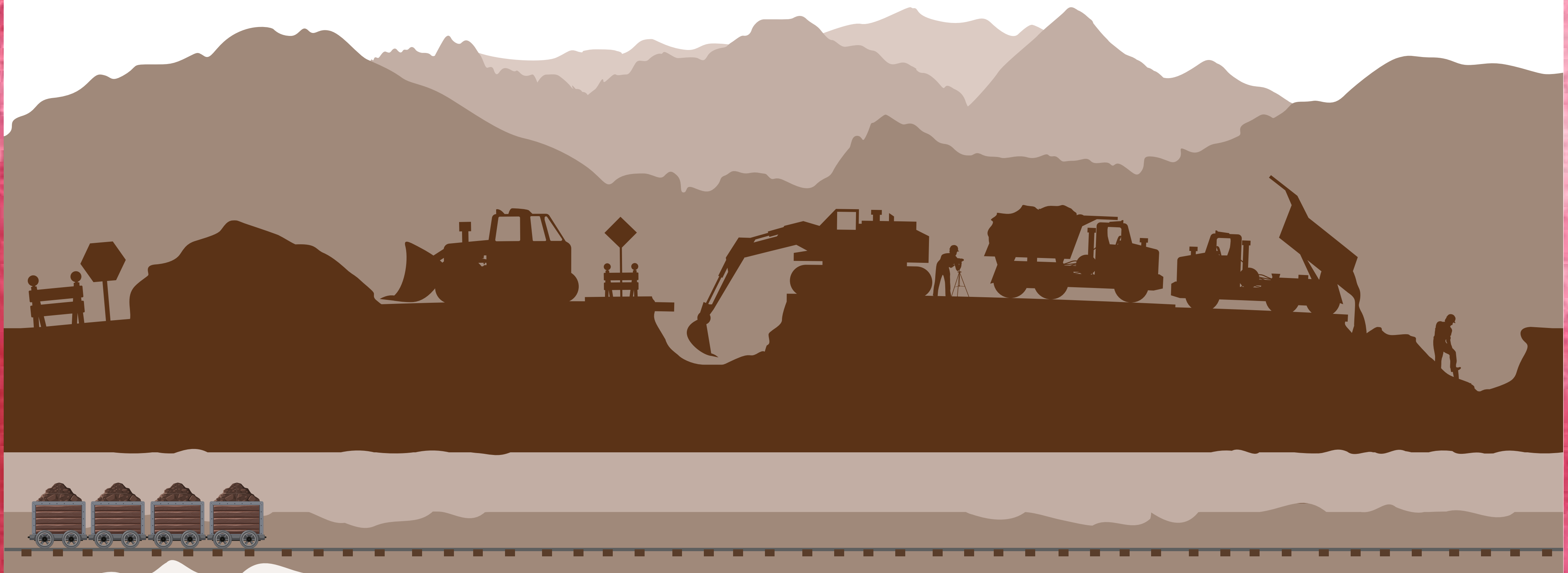

HAQ: Centre for Child Rights
B 1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar, 110017 New Delhi
Tel: (+91) 011-26677412
www.haqcrc.org

डीएमएफ की उत्पत्ति के बारे में...

१९४६ अभ्रक खान और १९४७ कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम

दोनों अधिनियम अभ्रक और कोयला खदानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग किए जाने वाले कोष का निर्माण करते हैं। अभ्रक के निर्यात पर लगाया गया सीमा शुल्क या कोलियरियों से कोयले को भेजने पर लगाया गया उत्पाद शुल्क श्रमिकों के कल्याण के लिए एक निधि में एकत्र किया जाता है ।दोनों अधिनियमों को अब निरस्त कर दिया गया है।

१९९७ समता निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य खनिज निगम को छोड़कर गैर आदिवासी व्यक्तियों और निजी कंपनियों को पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में खनन करने पर रोक लगा दी। खनन से प्रभावित जनजातीय समुदायों की सामाजिक–आर्थिक विकास की जरूरतों के लिए एक स्थायी कोष स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया। अदालत ने खनन से होने वाले मुनाफे का 20% इस तरह के फंड को स्थापित करने के लिए अलग रखे जाने का सुझाव दिया।

२००६ होडा समिति

भारत के लिए एक राष्ट्रीय सतत विकास ढांचे की सिफारिश की गई थी। सुझाव दिया गया कि खनन कंपनियां अपने कारोबार का कुछ प्रतिशत हिस्सा गाँवों में सामाजिक बुनियादी ढांचों के विकास पर खर्च करें और कैशलेस इक्विटी के रूप में खनन कार्य से प्रभावित आबादी को हिस्सेदारी भी दें।

२००८ राष्ट्रीय खनिज नीति

इस नीति के तहत एक सतत विकास ढाँचा (एसडीएफ) तैयार किया गया और खनन प्रभावित क्षेत्रों और उससे प्रभावित आदिवासी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे पर एक बड़ा जोर दिया। इस नीति में खनन प्रभावित आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने और गरीबी रेखा से ऊपर स्थायी आय सुनिश्चित करने का वचन दिया।

२०१० खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक (एमएमडीआर विधेयक) 2010 में जारी किया गया था जिसमें प्रभावित व्यक्तियों के साथ खान पट्टा धारकों द्वारा 26% लाभ बांटने का प्रस्ताव रखा गया। यह विधेयक 2011 में व्यपगत हो गया था।

२०११ सतत विकास ढाँचा (एसडीएफ)

खनन क्षेत्र में सतत विकास को परिभाषित करते हुए 7 मूल सिद्धांत निर्धारित प्रतिपादित किए गए। लिहाजा, खास तौर पर सिद्धांत 5 समुदाय के जुड़ाव, खनन से हुए लाभ को साझा करने और प्रभावित समुदायों के सामाजिक–आर्थिक मुद्दों में योगदान की बात करता है।

२०११ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक (एमएमडीआर विधेयक)

सन् 2011 में नए एमएमडीआर विधेयक को प्रस्तावित किया गया। इस विधेयक में खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हितों और लाभ के लिए कार्य करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस विधेयक में 26% लाभ साझाकरण की संरचना को समाप्त कर दिया गया और कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर सभी प्रमुख खनिजों के मामले में खनन पट्टे के लिए भुगतान की गई रॉयल्टी के बराबर डीएमएफ में वार्षिक अंशदान का प्रस्ताव किया । यह विधेयक 2014 में व्यपगत हो गया।

२०१५ एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम

इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक खनन प्रभावित जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना का प्रावधान किया गया है । खान पट्टा धारकों द्वारा डीएमएफ में धन के अंशदान का प्रावधान इस प्रकार किया गया है– प्रमुख खनिजों का खनन – 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद दी गई पट्टे के लिए भुगतान की गई रॉयल्टी का 10 प्रतिशत और 12 जनवरी 2015 से पहले दी गई पट्टे के लिए भुगतान की गई रॉयल्टी का 30 प्रतिशत गौण खनिजों का खनन – राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है।

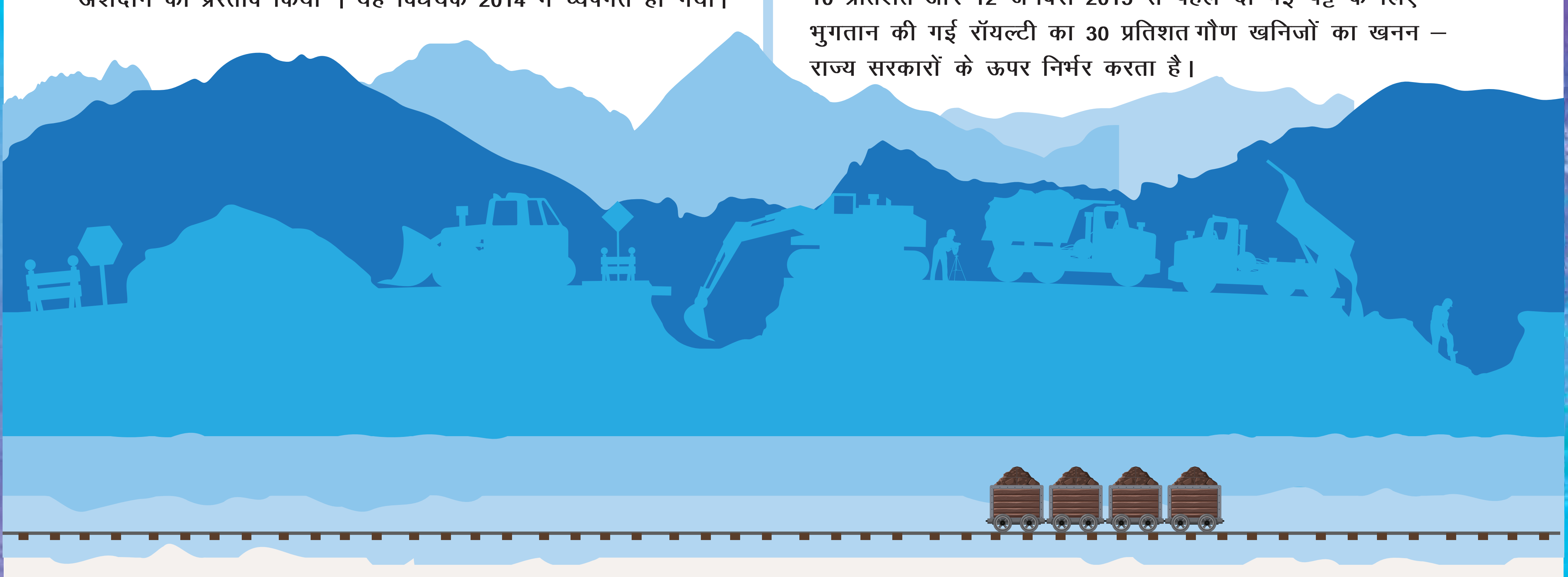

HAQ: Centre for Child Rights
B 1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar, 110017 New Delhi
Tel: (+91) 011-26677412
www.haqcrc.org

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट

डीएमएफटी की संरचना

3

जिलाधिकारी

शासी परिषद

- सरकारी अधिकारी
- खनन उद्योग से प्रतिनिधित्व
- पंचायती राज से निर्वाचित प्रतिनिधि
- ग्राम सभा/प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों के सदस्य

प्रबंधन समिती

- सरकारी अधिकारी

शासी परिषद के प्रमुख कार्य

- डीएमएफ ट्रस्ट के कामकाज के लिए नीतिगत ढांचा निर्धारित करना
- वार्षिक योजनाओं और बजटों को तैयार करना और मंजूरी देना
- प्रबंध समिति और लेखा परीक्षित खातों की सिफारिशों सहित वार्षिक रिपोर्टों को मंजूरी देना
- अधिकारियों और लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना

प्रबंधन समिती के प्रमुख कार्य

- डीएमएफ ट्रस्ट का मास्टर प्लान/विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना
- वार्षिक योजना और बजट तैयार करने में सहायता करना
- स्वीकृत राशि को एकत्र, अनुमोदित, संवितरण और निगरानी करना
- वार्षिक योजनाओं और अनुमोदित परियोजनाओं पर प्रगति का निष्पादन, पर्यवेक्षण और निगरानी करना
- अनुमोदन के लिए वार्षिक रिपोर्ट, लेखा और लेखा परीक्षा तैयार करना
- प्रस्तावित सिफारिशों के लिए शासी परिषद की मंजूरी लेना
- ट्रस्ट के नाम पर बैंक खाते खोलना और संचालित करना

HAQ: Centre for Child Rights
B 1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar, 110017 New Delhi
Tel: (+91) 011-26677412
www.haqcrc.org

खनन कई तरीकों से समुदाय को प्रभावित करता है

4

पेयजल का अभाव, सोनभद्र के 269 गाँव फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं।

चित्रकूट में 12–14 वर्ष की लड़कियाँ अवैध खानों में काम करती हैं। 200 से 300 रुपये की दैनिक कमाई के लिये उन्हें मजबूरन देह व्यापार का शिकार होना पड़ता है।

झारखंड के अभ्रक खदानों में करीब 5000 बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूर की तरह काम करने को मजबूर हैं।

छत्तीसगढ़ के लाठ गाँव में कोयला खनन की वजह से 400 आदिवासी परिवार विस्थापित हो गए।

अगर समुदाय खनन से प्रभावित व्यक्तियों या प्रभावित क्षेत्रों में रहने की श्रेणी में आते हैं तो उन्हे डीएमएफ के माध्यम से अपनी समस्याओं का निवारण प्राप्त करने का अधिकार है।

केंद्रीय निर्देश अनुसार

प्रभावित क्षेत्र

सीधे तरीके से प्रभावित

- सक्रिय खदानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र
- वैसे क्षेत्र जो खदानों से परिभाषित दायरों के अंदर आते हैं
- जिन गांवों में विस्थापित समुदायों को पुनर्वासित किया गया हैं
- ऐसे गांव जो आर्थिक जरूरतों के लिये खनन क्षेत्र पर निर्भर करते ह

याद रखें डीएमएफ न्यास को प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की सूची बनानी होती है और उसे समय समय पर अपडेट भी करना होता है

अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित

- वैसे क्षेत्र जहां खनन के कारण जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
- खनन से संबंधित कार्यों के कारण सामाजिक ,आर्थिक, पर्यावरणीय पहलू पर असर

प्रभावित लोग

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में विस्थापित और प्रभावित परिवार परिभाषित किए गए हैं

खनन की जा रही भूमि पर पात्रता रखने वाले लोग

ग्राम सभा के परामर्श से चिन्हित प्रभावित परिवार

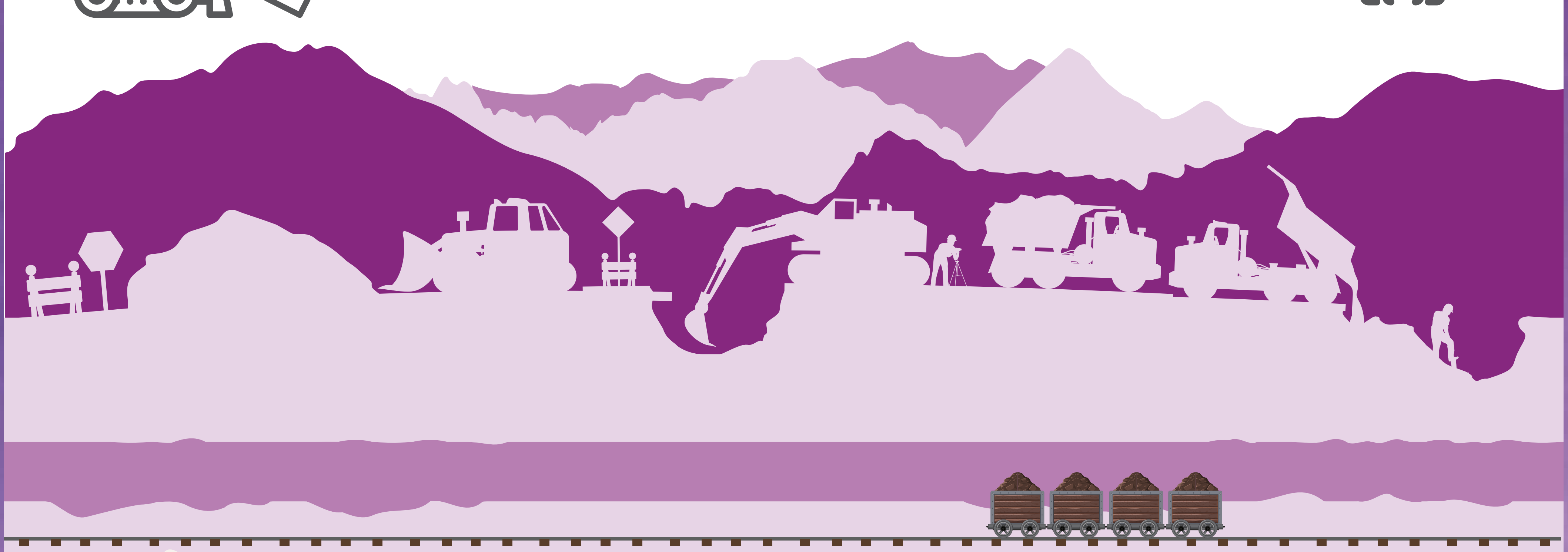

HAQ: Centre for Child Rights
B 1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar, 110017 New Delhi
Tel: (+91) 011-26677412
www.haqcrc.org

जिला खनिज न्यास निधि का प्रयोग

5a

जिला खनिज न्यास निधि के प्रयोग हेतु केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- पेयजल
- पर्यावरण संरक्षण
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- महिला एवं बाल कल्याण
- वृद्ध और विकलांग (अलग रूप से सक्षम) के कल्याण
- कौशल विकास
- स्वच्छता

अन्य प्राथमिक क्षेत्र

- भौतिक आधारभूत संरचना
- सिंचाई
- जलविभाजन (वाटरशेड) व्यवस्था
- पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय

यदि आप खनन से प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो आपको जिला खनिज न्यास से जवाबदेही मांगने का पूरा अधिकार है

जिला खनिज न्यास निधि में धन का उपार्जन (अर्जित करना)

जिला खनिज न्यास निधि में धन का उपार्जन (अर्जित करना)

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (जैसा कि 2015 में संशोधित किया गया है) जिला खनिज न्यास में धन उपार्जित करने के प्रावधान निर्धारित करता है।

खनन कंपनियों के योगदान पर निर्देश-

- प्रमुख खनिज के लिए केंद्रीय सरकार निर्देश देगी
- लघु खनिज के लिए राज्य सरकार के विशेषाधिकार

आंध्र प्रदेश में

खनन पट्टे से रॉयल्टी

नीलामी के माध्यम से	नीलामी के बिना
10%	30%

+

लीज देने पर खनन किए हुए खनिजों पर प्रभुत्व कर

नीलामी के माध्यम से	नीलामी के बिना
10%	30%

↓

आंध्र प्रदेश में डीएमएफ ट्रस्ट का योगदान

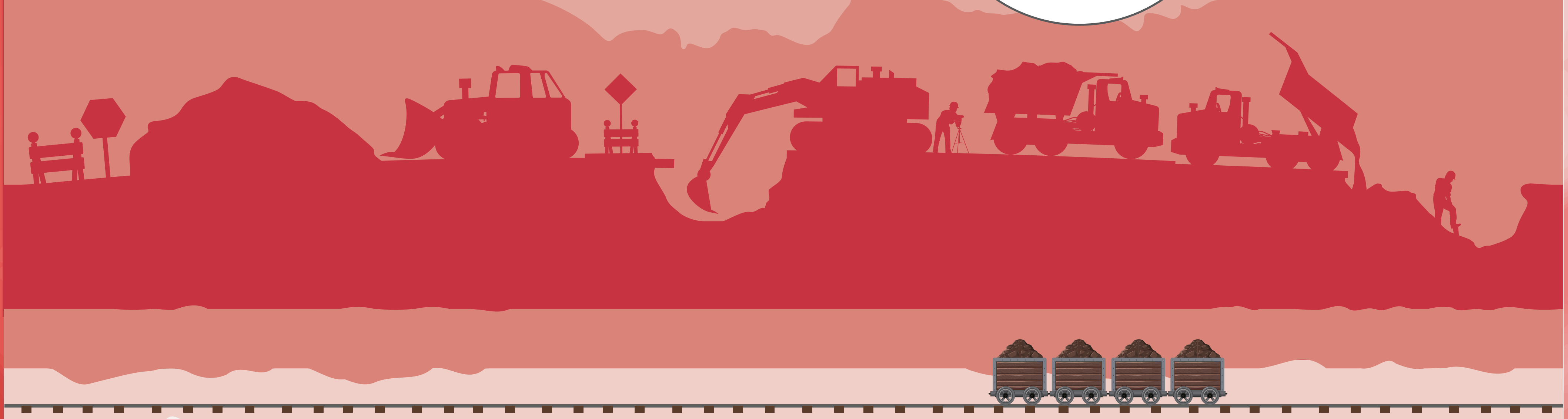

terre des hommes Help for Children in Need · MISEREOR IHR HILFSWERK · NAVAJEEVAN BALA BHAVAN · ARD Association for Rural Development · SYM Shikhar Yuva Manch · HAQ

HAQ: Centre for Child Rights
B 1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar, 110017 New Delhi
Tel: (+91) 011-26677412
www.haqcrc.org

डीएमएफ ट्रस्ट में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में और लोगों की भूमिका

6

स्टेप १
जिला खनिज न्यास के परियोजनाओं से संबंधित आँकड़े ढूंढें

परियोजना स्वीकृत, पूर्ण, चल रही है, निरस्त

+

निधि एकत्रित, स्वीकृत और व्यय

कुछ महत्वपूर्ण आँकड़ों का श्रोत्त

- खनन मंत्रालय
- जिला अधिकारी का कार्यालय
- माइंस, मिनेरल्स एंड पीपुल (एक नेटवर्क)
- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट
- अखबार से प्रकाशित खबरें (रिपोर्ट्स)

Project Data Status (As on September 2020)

Sr. No.	State	Project Sanctioned		Projects Yet to Start		Project Completed		Ongoing Project		Projects Scrapped/Cancelled	
		Number	Amount	Number	Amount Committed	Number	Amount	Number	Amount Committed	Number	Amount Released
1	Andhra Pradesh	13556	946.30	1661	258.93	5328	301.64	5908	[illegible]	[illegible]	36.88
2	Chhattisgarh	44545	6044.14	2177	424.01	24638	2718.39	14549	2334.07	3213	495.67
3	Goa**	7	29.65	2	0.00	2	27.57	3	0.00	0	0.00
4	Gujarat	14376	893.23	2276	325.27	6649	305.62	1856	[illegible]	[illegible]	108.41
5	Jharkhand#	19254	5112.35	2002	0.00	2338	2899.95	14824	0.00	90	0.00
6	Karnataka	6006	3293.97	3239	2663.29	1215	220.60	1340	372.90	212	37.18
7	Maharashtra	5834	1381.60	532	73.04	1337	229.78	3936	1059.51	29	4.99
8	Madhya Pradesh	9620	2362.35	246	115.02	4215	533.38	3198	783.23	1861	109.26
9	Odisha	18577	12013.43	3590	2590.58	9020	1542.79	5967	7880.02	0	0.00
10	Rajasthan#	18233	2809.98	5987	0.00	6512	982.65	2078	0.00	3656	0.00
11	Tamilnadu	1878	554.58	187	83.35	1018	237.44	640	231.00	33	2.79
12	Telangana*	28004	2902.66	11327	920.11	9488	830.20	6841	1115.77	348	36.61
	Sub -Total	**179790**	**38344.24**	**33226**	**7453.61**	**71760**	**10830.21**	**61140**	**14260.78**	**13696**	**831.78**
13	Assam	241	71.62	65	12.50	66	9.84	100	44.98	10	0.00
14	Bihar*	30	18.33	23	17.57	7	0.76	0	0.00	0	0.00
15	Himachal Pradesh	73	15.15	72	15.14	1	0.00	0	0.00	0	0.00
16	Jammu & Kashmir	140	11.40	8	0.81	100	6.84	31	3.08	1	0.00
17	Kerala	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	Meghalaya	12	13.68	4	6.16	6	6.28	2	3.53	0	0.00
19	Uttarakhand	[illegible]	[illegible]	67	6.83	3	0.70	390	20.35	112	2.38
20	Uttar Pradesh	6627	465.16	10	0.00	218	9.50	6394	299.51	5	0.00
21	West Bengal	1071	18.32	32	3.72	573	9.30	465	4.60	1	0.70
	Sub-Total	[illegible]	[illegible]	**281**	**62.75**	**974**	**43.22**	**7382**	**376.04**	**129**	**3.08**
	Grand Total	**188556**	**38988.15**	**33507**	**7516.36**	**72734**	**10873.43**	**68522**	**14636.82**	**13825**	**834.86**

Project Data Status (As on July 2020)

Sr. No.	State	Project Sanctioned		Projects Yet to Start		Project Completed		Ongoing Project		Projects Scrapped/Cancelled	
		Number	Amount	Number	Amount Committed	Number	Amount	Number	Amount Committed	Number	Amount Released
1	Andhra Pradesh	13264	905.25	1721	339.25	5040	265.58	5845	265.58	658	34.82
2	Chhattisgarh*	41732	5464.31	0	0.00	[illegible]	[illegible]	13519	0.00	[illegible]	[illegible]
3	Goa*	7	28.51	2	0.00	2	26.44	3	0.00	0	0.00
4	Gujarat	14037	862.05	2484	320.16	6139	282.23	1943	134.69	3471	107.41
5	Jharkhand*	19144	5094.73	2028	0.00	[illegible]	[illegible]	2370	0.00	[illegible]	[illegible]
6	Karnataka	5055	2525.55	2610	1958.88	1024	194.40	1249	337.35	172	34.92
7	Maharashtra	5792	1329.36	523	61.34	1275	204.72	3967	1044.73	27	4.29
8	Madhya Pradesh	9501	2356.34	289	134.61	4026	465.89	3327	833.64	1859	107.48
9	Odisha	15641	11807.99	3952	3008.15	7979	1410.95	3710	7388.86	0	0.00
10	Rajasthan	18072	2805.04	5943	598.64	6046	912.90	2701	495.28	3382	798.22
11	Tamilnadu	1822	543.04	188	143.64	915	191.65	686	204.97	33	2.79
12	Telangana	27954	2856.87	11411	924.83	9346	788.99	6850	1106.44	347	36.61
	Sub -Total	**172021**	**36579.04**	**31151**	**7489.49**	**81580**	**11305.60**	**46170**	**11811.54**	**13120**	**1126.54**
13	Assam*	181	47.60	29	0.00	25	9.63	110	0.00	17	0.00
14	Bihar	30	18.33	23	17.57	7	0.76	0	0.00	0	0.00
15	Himachal Pradesh	73	15.15	72	15.14	1	0.00	0	0.00	0	0.00
16	Jammu & Kashmir	140	11.40	8	0.81	100	6.84	31	3.08	1	0.00
17	Kerala	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	Meghalaya	12	13.68	4	6.16	6	6.28	2	3.53	0	0.00
19	Uttarakhand	[illegible]	[illegible]	62	3.08	3	0.70	388	20.08	112	2.38
20	Uttar Pradesh	2547	498.04	876	59.77	217	9.48	1449	229.85	5	0.00
21	West Bengal	1067	17.09	33	3.78	568	8.01	465	4.60	1	0.70
	Sub-Total	[illegible]	[illegible]	**1107**	**106.32**	**927**	**41.70**	**2445**	**261.14**	**136**	**3.08**
	Grand Total	**176636**	**37226.56**	**32258**	**7595.81**	**82507**	**11347.31**	**48615**	**12072.68**	**13256**	**1129.62**

स्टेप २
सवाल पूछें

याद रखें..

डीएमएफ एक सार्वजनिक कार्यालय है

आप अपनी सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकते है

सामाजिक लेखा परीक्षा के अभ्यास ने मनरेगा जैसी सामाजिक योजनाओं के सफल, अमल होने में मदद की है

पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि और ग्राम सभा के सदस्य डीएमएफ ट्रस्ट का हिस्सा होते हैं

क्या आप जानते हैं???

जुलाई २०२० और सितम्बर २०२० में

- 11920 नए परियोजनाओं को स्वीकृति मिली, 6.3% की बढ़ोत्तरी हुई
- पूरी की गई परियोजनाओं का प्रतिशत 46.7% से घटकर 38.6% हो गया

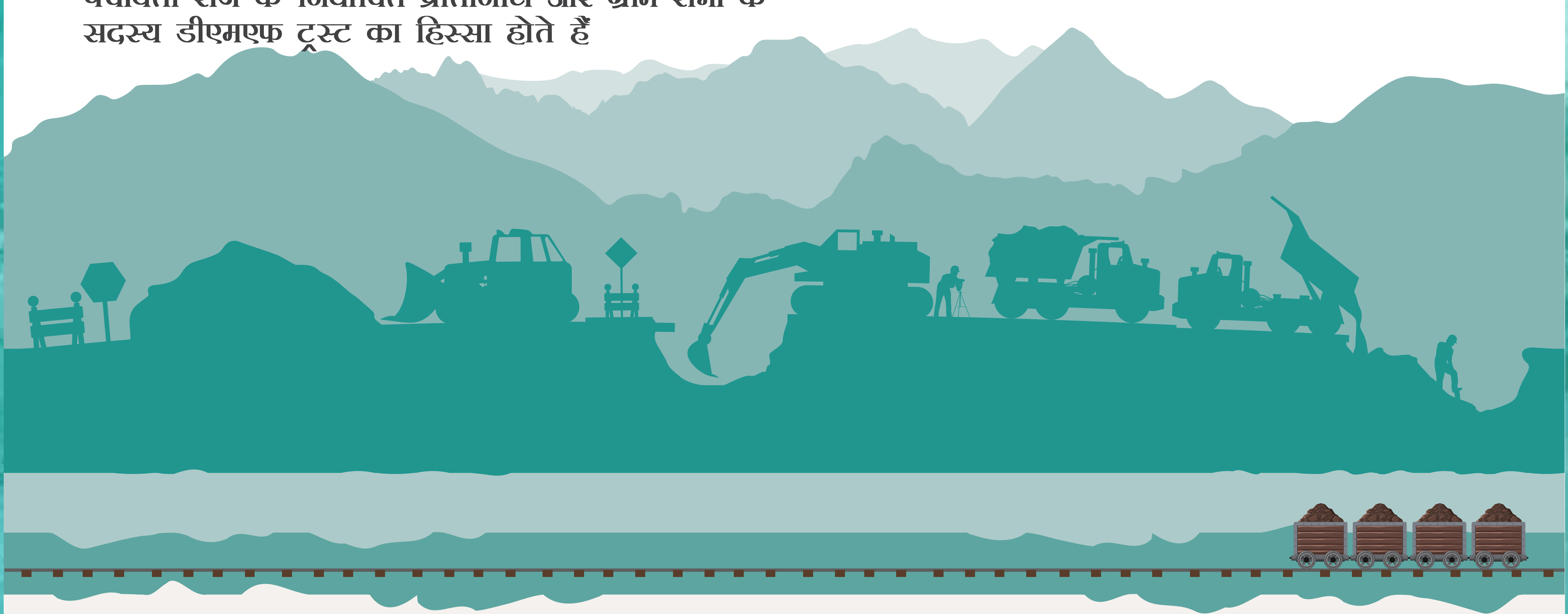

terre des hommes Help for Children in Need
MISEREOR IHR HILFSWERK
ARD Association for Rural Development
SYM Shikhar Yuva Manch

HAQ: Centre for Child Rights
B 1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar, 110017 New Delhi
Tel: (+91) 011-26677412
www.haqcrc.org

जिला खनिज न्यास निधि का प्रयोग

5b

जिला खनिज न्यास निधि के प्रयोग हेतु केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- पेयजल
- पर्यावरण संरक्षण
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- महिला एवं बाल कल्याण
- वृद्ध और विकलांग (अलग रूप से सक्षम) के कल्याण
- कौशल विकास
- स्वच्छता

अन्य प्राथमिक क्षेत्र

- भौतिक आधारभूत संरचना
- सिंचाई
- जलविभाजन (वाटरशेड) व्यवस्था
- पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय

यदि आप खनन से प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो आपको जिला खनिज न्यास से जवाबदेही मांगने का पूरा अधिकार है

जिला खनिज न्यास निधि में धन का उपार्जन (अर्जित करना)

जिला खनिज न्यास निधि में धन का उपार्जन (अर्जित करना)

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (जैसा कि 2015 में संशोधित किया गया है) जिला खनिज न्यास में धन उपार्जित करने के प्रावधान निर्धारित करता है।

खनन कंपनियों के योगदान पर निर्देश–

- प्रमुख खनिज के लिए केंद्रीय सरकार निर्देश देगी
- लघु खनिज के लिए राज्य सरकार के विशेषाधिकार

छत्तीसगढ़ में

खनन पट्टे से रॉयल्टी

नीलामी के माध्यम से	नीलामी के बिना
10%	30%

+

लीज देने पर खनन किए हुए खनिजों पर प्रभुत्व कर

नीलामी के माध्यम से	नीलामी के बिना
10%	30%

↓

छत्तीसगढ़ में डीएमएफ ट्रस्ट का योगदान

HAQ: Centre for Child Rights
B 1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar, 110017 New Delhi
Tel: (+91) 011-26677412
www.haqcrc.org

जिला खनिज न्यास निधि का प्रयोग

5c

जिला खनिज न्यास निधि के प्रयोग हेतु केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- पेयजल
- पर्यावरण संरक्षण
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- महिला एवं बाल कल्याण
- वृद्ध और विकलांग (अलग रूप से सक्षम) के कल्याण
- कौशल विकास
- स्वच्छता

अन्य प्राथमिक क्षेत्र

- भौतिक आधारभूत संरचना
- सिंचाई
- जलविभाजन (वाटरशेड) व्यवस्था
- पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय

यदि आप खनन से प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो आपको जिला खनिज न्यास से जवाबदेही मांगने का पूरा अधिकार है

जिला खनिज न्यास निधि में धन का उपार्जन (अर्जित करना)

जिला खनिज न्यास निधि में धन का उपार्जन (अर्जित करना)

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (जैसा कि 2015 में संशोधित किया गया है) जिला खनिज न्यास में धन उपार्जित करने के प्रावधान निर्धारित करता है।

खनन कंपनियों के योगदान पर निर्देश-

- प्रमुख खनिज के लिए केंद्रीय सरकार निर्देश देगी
- लघु खनिज के लिए राज्य सरकार के विशेषाधिकार

उत्तर प्रदेश में

खनन पट्टे से रॉयल्टी

एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2015 के बाद	एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2015 के पहले
10%	10%

\+

खनन पट्टे से रॉयल्टी 10%

↓

उत्तर प्रदेश में डीएमएफ ट्रस्ट का योगदान

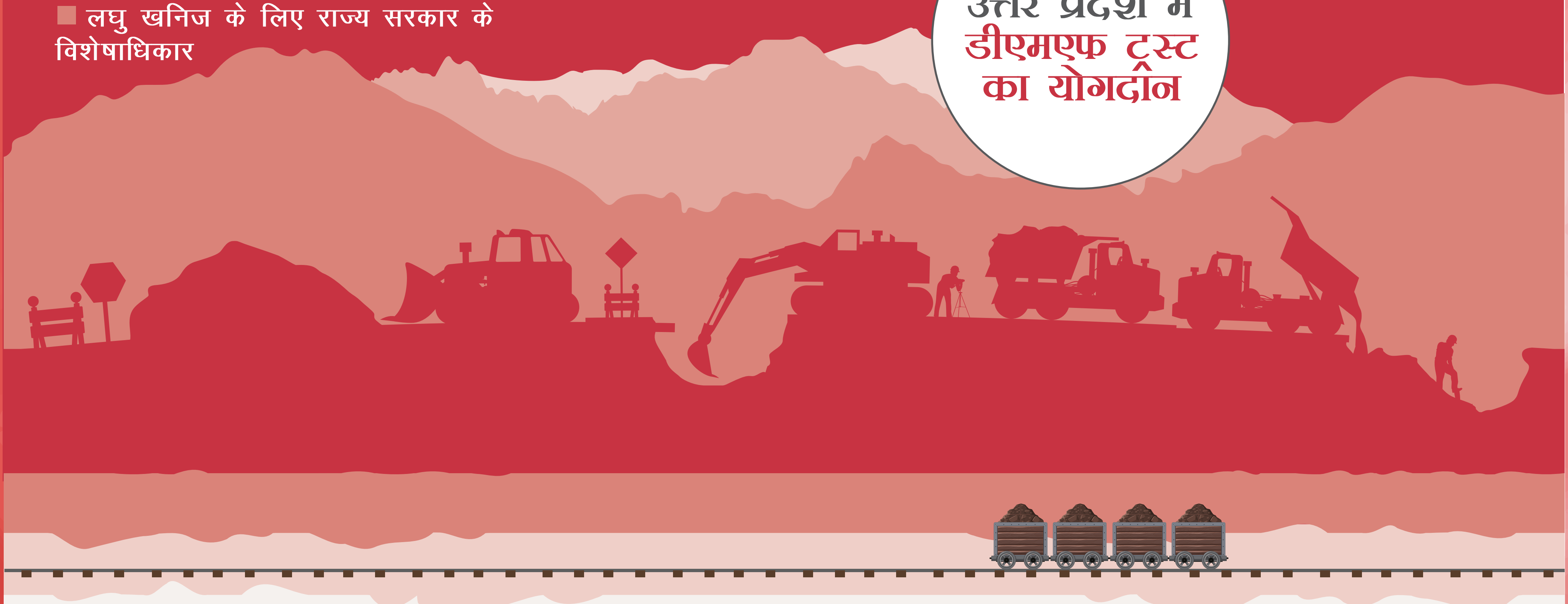

HAQ: Centre for Child Rights
B 1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar, 110017 New Delhi
Tel: (+91) 011-26677412
www.haqcrc.org